न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 103/2024

दायर दिनांक 21.03.2024

निर्णय दिनांक 27.05.2024

उनवान

1. तुलसीराम पुत्र श्री नारायण खटीक आयु वयस्क निवासी– सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. बंशी लाल पुत्र श्री नारायण खटीक आयु वयस्क निवासी– सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. राजकुमार पुत्र श्री नारायण खटीक आयु वयस्क निवासी सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

पीरू माली पुत्र गोवर्धन माली आयु वयस्क निवासी– मालीखेड़ा, महिला आश्रम के पास, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

मूलचन्द पुत्र मोहन लाल खटीक आयु वयसक निवासी कुवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

देवी लाल पुत्र मोहन लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– कुवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

मुरलीधर पुत्र श्री रामरतन जोशी आयु वयस्क निवासी 72 रमा विहार, सुखाडिया सर्किल के पास, होटल किस्तीजी पैलेस के पीछे, भीलवाड़ा

खलील अहमद पुत्र सुबान मुसलमान आयु वयस्क निवासी सांगानेर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

तालिब हुसैन पुत्र जहीरूदीन मुसलमान आयु वयस्क निवासी– सांगानेर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

अल्का पत्नी राजेश कुमार नाहर आयु वयस्क निवासी-- आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज०)

रीतु देवी पत्नी दलपत नानेचा आयु वयस्क निवासी आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

सुरेखा पत्नी सुदर्शन पीपाड़ा आयु वयस्क निवासी सेशन कोर्ट के पास, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

ललिता पुत्री मोहन लाल लोढा आयु वयस्क निवासी नई हवेली का चौक, नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी शोभागमल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ौजा केवाड़ा प0ह0 भीलवाड़ा द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला लवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 86 की अभिलिखित आराजियात 7/1, 669, 670 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं ब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। : प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर ई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता स्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। र वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी जियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का ोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात स के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन रगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र त धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि केवाड़ा प0ह0 भीलवाड़ा द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला डा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 86 की अभिलिखित आराजियात 1, 669, 670 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की ति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000--00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा